न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रकाश चन्द पवन
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
93 / अपील / 2016	21.09.2016	17.03.2017

राजेन्द्र आ0 सुखपाल जाति मीणा निवासी ग्राम बड़ोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान) –अपीलांट

– बनाम –

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राजस्थान) –रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 08.08.2016 नायब तहसीलदार दबलाना अन्तर्गत धारा 22 राज0 उपनिवेशन अधि0 1954 धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से – श्री प्रेमशंकर अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – पेरोकार सरकार

–: निर्णय :–

यह अपील नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 1723, 1736 रकबा 07 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम बड़ोदिया तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये बेदखल, पैनाल्टी 700/– रूपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को 90 दिन सिविल कारावास, पैनाल्टी, फसल जप्ती के दण्ड से दण्डित किया गया है जो कानूनी तथ्यों एवं विधि विधान के विरूद्व होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट का जवाब व साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया है केवल मात्र पटवारी के बयानो के आधार पर दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि से कब्जा छोड़ दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पश्चात्वृति अतिक्रमी साबित किये बिना ही सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया

गया है। पश्चात्वृति साबित किये बिना सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया गया है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 08.08.2016 निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार–सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करके कब्जा किया है। अपीलान्ट को विधिवत् नोटिस दिया गया है। पटवारी के बयान लिये गये है। अपीलान्ट राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा भूमि पर से कब्जा नहीं छोड़ा है। कब्जा छोड़ने बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी व बयान पटवारी के अनुसार अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश में अंकित भूमि पर सम्वत् 2073 फसल खरीब में तिल की फसल बोकर अतिक्रमण किया गया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलान्ट को विधिवत् नोटिस दिया गया है। जो अपीलान्ट के पिता की तामील हुई है, अधीनस्थ न्यायालय में पिता उपस्थित हुआ है। जहाँ तक अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना जाकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि पश्चात्वर्ती अतिक्रमी के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व निर्णय की पालना में अपीलान्ट को मौके से बेदखल किये जाने बाबत् घटना बही की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी को भूमि से बेदखल कर भूमि कब्जे राज लिये जाने बाबत् कोई दस्तावेज उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चात्वृति बाबत् कोई स्वतंत्र साक्ष्य भी नहीं ली गई है। जिससे अपीलान्ट का पश्चात्वृति अतिक्रमी प्रमाणित नहीं होता है। पश्चात्वृति अतिक्रमी प्रमाणित हुये बिना सिविल कारावास सजा जैसा कठोर आदेश किसी भी स्थिति में उचित नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट पश्चातवृति अतिक्रमी प्रभावित नहीं होने से अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश द्वारा पारित सिविल सजा का आदेश निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चंद पवन)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बून्दी (राज0)